कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

कर्मांक/ एफ –5/2005 /10–10 /370/ भोपाल : दिनांक 13.3.06

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश ।

विषय :– अंतिम रुप से राजसात किये गये वाहनों को शासकीय उपयोग में लेने के संबंध में ।

वन अपराधों में उपयोग किये गये वाहन जब अंतिम रुप से राजसात हो जाते है तो उनको शासकीय उपयोग में लेने हेतु वन संरक्षक विधिवत आदेश जारी करते हैं । इसके उपरान्त उन वाहनों को किसे आवंटित किया जाता है व उसका क्या उपयोग किया जाता है, इसकी जानकारी इस कार्यालय में नहीं रहती है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे समस्त वाहन जो अंतिम रुप से राजसात कर लिये गये हैं और जिनका शासकीय उपयोग में लेने बाबत वन संरक्षकों व्दारा विधिवत आदेश जारी कर दिया गया है, का आवंटन इस कार्यालय व्दारा किया जावेगा । ~~इस हेतु~~ संबंधित वन संरक्षक आवंटन करने हेतु इस कार्यालय को सूचित करेगें ।

वन अपराधों में राजसात किये गये वाहनों का उपयोग केवल वनों की सुरक्षा हेतु किये ज रहे प्रयासों में ही किया जावेगा । मुख्यतः इन वाहनों का आवंटन उस वन वृत्त में स्थापित की गई व चौकियों एवं वनमण्डल व वन वृत्त के उड़न दस्ता वाहनों हेतु और यदि उचित प्रकार का वाहन है तो ऐ क्षेत्रीय वन अधिकारियों को आवंटित किया जावेगा जिनके वाहन पुराने व खराब हो चुके हैं । किन्हीं भ परिस्थितियों में ऐसे वाहनों का उपयोग अन्य प्रकार के कार्यो में नहीं किया जावेगा ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिन वन वृत्तों में अंतिम रुप से राजसात किये गये वाह शासकीय उपयोग में लाये जा रहे हैं उसकी जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में शीध्र भेजी जावे :–

अ. क.	वाहन का नाम	प्र कार	नंबर	निर्माण वर्ष	जप्ती दिनांक	अंतिम रुप से राजसात करने का कर्मांक व दिनांक	शासकीय उपयोग में लाने का आदेश क0 व दिनांक	वर्तमान उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13/3

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश